स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा संबंधी रिपोर्ट

राय

हमने घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार, तुलन पत्र (बैलेंस शीट), लाभ एवं हानि विवरण, उस तारीख को समाप्त हो रही अवधि के लिए साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन के विवरण और नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार और अन्य स्पष्टकारक जानकारी सहित वित्तीय विवरणों के संबंध में टिप्पणियां शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") में यथाअपेक्षित रीति से अपेक्षित जानकारी और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के कार्यों की स्थिति, इसकी हानि, और उस तारीख को समाप्त हो रही अवधि के लिए साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन और इसके नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) के बारे में सत्य एवं स्पष्ट तथ्य प्रकट करते हैं।

राय का आधार

हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट के 'वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी' खंड में की गई है। हम, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई नैतिक संहिता के साथ-साथ नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी से स्वतंत्र है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत हमारे द्वारा की गई वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए संगत है और हमने, इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को निर्वहन किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों और उनके संबंध में दी गई लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के निदेशक मंडल की है। अन्य जानकारी में प्रबंधन रिपोर्ट में शामिल की गई जानकारी सम्मिलित है, किंतु इसमें स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण और उनके संबंध में हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय में अन्य जानकारियां शामिल नहीं की गई हैं, और हम उनके संबंध में किसी भी प्रकार का आश्वस्त निष्कर्ष व्यक्त नही करते हैं।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारियों को पढ़ना और ऐसा करते हुए, यह विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वस्तुतः स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों से काफी असंगत है अथवा हमारे द्वारा की जा रही लेखा परीक्षा के दौरान हमें दी गई जानकारी काफी गलत रूप में प्रस्तुत की गई प्रतीत होती है परामर्श लिया गया अथवा अन्यथा वस्तुतः मिथ्या प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह अन्य जानकारी वस्तुतः मिथ्या है, तो हमारे द्वारा उस तथ्य की सूचना दी जानी आवश्यक है। इस संबंध में सूचित किए जाने हेतु हमारे पास कोई तथ्य नहीं है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और जिन्हें अभिशासन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, उनकी जिम्मेदारी

इन स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों, जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन और नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) के बारे में सत्य और निष्पक्ष मत प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी में, कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं की रोकथाम करने और पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और उपयोग करने; ऐसे निर्णय लेना और आकलन करना जो तर्कसंगत और विवेकसम्मत हो; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जिन्हें वित्तीय विवरणों का सत्य और स्पष्ट तथ्य प्रकट करने वाले और वस्तुतः मिथ्या जानकारी, चाहे वे धोखे से अथवा त्रुटिवश, न हो वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक लेखा रिकार्डों की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा था को तैयार करने और रखरखाव करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों का रखरखाव करना भी शामिल है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, निदेशक मंडल कंपनी के एक प्रगतिशील संस्था के रूप में बने रहने, प्रगतिशील संस्था से संबंधित मामलों के प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, और लेखांकन के लिए प्रगतिशील संस्थान के आधार का उपयोग करने में इसकी क्षमता के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि निदेशक मंडल कंपनी को परिसमाप्त न करना चाहता हो या उसका प्रचालन न रोकना चाहता हो अथवा ऐसा करने के सिवाय उनके पास कोई यथार्थपरक विकल्प न बचे।

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देख-रेख के लिए भी निदेशक मंडल जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप में महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी से अथवा त्रुटि से हो, से रहित हैं और लेखा परीक्षा की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है किंतु यह गारंटी नहीं देता कि कि एस.ए. के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में सदैव महत्वपूर्ण गलतबयानी, जब कभी विद्यमान हो, का पता लगाया जाएगा। महत्वपूर्ण गलतबयानी किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाएगा यदि व्यक्तिगत अथवा समग्र तौर पर, उनसे उपयोगकर्ता द्वारा इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए निर्णयों को संगत रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

एस.ए. के अनुसरण में लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, लेखा परीक्षा के दौरान हमने पेशेवर निर्णयों का उपयोग किया है और पेशेवर संशयवाद की अवधारणा का बनाए रखा है। हमने:

- वित्तीय विवरणों में, चाहे धोखाधड़ी से अथवा त्रुटिवश, महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का पता लगाते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, ऐसे जोखिमों के लिए अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करते हैं और उनका निष्पादन करते हैं तथा ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। किसी धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हुई गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम, त्रुटिवश की गई किसी गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखे में सांठगांठ, जालसाजी, इरादतन चूक, गलतबयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण का अधिभावी होना शामिल हो सकता है।

- उस स्थिति में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त भी की। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(I) के अंतर्गत, हम इस बात पर अपनी राय प्रकट करने के लिए भी जिम्मेदार है कि क्या कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावकारिता है।

- हम प्रयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा लेखा अनुमानों तथा उनसे संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन भी करते हैं।

- प्रबंधन द्वारा प्रयोग में लाए गए प्रगतिशील संस्था के लेखांकन के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, उस घटनाक्रम और स्थिति जो कंपनी के एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने के संबंध में एक पर्याप्त संशय उत्पन्न करती है, से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान हो, उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकर्षित करना अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हो तो अपनी राय में आशोधन करना अपेक्षित है। हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं।

तथापि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां कंपनी को एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने से बाधित कर सकती है।

- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुती, संरचना और विषयवस्तु सहित प्रकटनों और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं को उस रीति में प्रस्तुत करते हैं जो उचित प्रस्तुति प्रस्तुत की जाए, का मूल्यांकन भी करते हैं।

हम उन्हें, जिन्हें अभिशासन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, को अन्य मुद्दों के साथ-साथ योजनाबद्ध क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय-सीमा और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों सहित लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के संबंध में सूचना दी है।

हम उन्हें, जिन्हें अभिशासन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, एक विवरण भी प्रदान किया कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं और उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों और अन्य मामलों जिन्हें संगत रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभावकारी समझा जा सकता है और जहां कहीं लागू हो, संबंधित सुरक्षोपायों की अनुपालना की है।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 में यथाअपेक्षित, हमने आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों के बारे में, लागू सीमा तक, एक विवरण "अनुलग्नक-I" में दिया है।
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और उप-निर्देशों के संबंध में, हम कंपनी की बहियों और अभिलेखों की ऐसी जांच, जिसे हमने उचित समझा और जो हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार थी, के आधार पर अधिनियम की धारा 143(5) के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट अनुलग्नक - II पर संलग्न कर रहे हैं।
3. अधिनियम की धारा 143(3) में यथाअपेक्षित, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:-

    क) हमने, ऐसी समस्त जानकारी अथवा स्पष्टीकरण की मांग की और प्राप्त की जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।
    ख) हमारी राय में, कानून के अनुसार, उचित लेखाबहियां रखी गई हैं जैसा कि उन बहियों के संबंध में हमारी जांच से प्रतीत होता है।
    ग) इस रिपोर्ट में संबोधित तुलनपत्र, लाभ एवं हानि विवरण, साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन के विवरण और नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण खाते की बहियों के अनुरूप हैं।
    घ) हमारी राय में, उक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, कंपनी (खाता) नियमावली, 2014 की नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार हैं।

ङ) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463 (अ) के अनुसरण में, निदेशकों की निर्हरता संबंधी अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावकारिता के संबंध में कृपया अनुलग्नक 'क' पर हमारी पृथक रिपोर्ट का अवलोकन करें।

छ) अधिनियम की धारा 197(16) की अपेक्षाओं के अनुसरण में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान अपने निदेशकों को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया है अतः अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों की रिपोर्टिंग अपेक्षाएं कि क्या अधिक भुगतान किया गया है, कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।

ज) कंपनियां (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

- कंपनी के विरूद्ध कोई मुकदमेबाजी लंबित नहीं है जिससे इसकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो।
- कंपनी का डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई ऐसा दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके संबंध में किसी वास्तविक हानि का पूर्वानुमान था।
- ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

कृते वैश एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 005388 एन

सी.ए. विपिन जैन
(साझेदार)
सदस्यता संख्या. 512474

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: -

घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-I

31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिए घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक

<u>हम रिपोर्ट करते हैं कि:</u>

1 प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य के अलावा, कंपनी की कोई अचल संपत्ति नहीं है। अतः आदेश के पैरा 3 के खंड (i) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

2 कंपनी की कोई माल-सूची नहीं है; अतः, आदेश के पैरा 3 का खंड(ii) लागू नहीं होता है।

3 कंपनी द्वारा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में कवर कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पक्षों को कोई प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत ऋण स्वीकृत नहीं किया गया है।

4 हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 के तहत यथाविनिर्दिष्ट, अपने निदेशक मंडल को और उनकी ओर से कोई ऋण, गारंटी अथवा प्रतिभूति नहीं दी है और बनाए गए ऋणों के संबंध में कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों की अनुपालना की गई है।

5 हमारे द्वारा की गई कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में, कंपनी ने धारा 73 से 76 के प्रावधानों अथवा कंपनी अधिनियम 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी अन्य संगत प्रावधानों के अंतर्गत आम जनता से जमा स्वीकार नहीं किया है।

6 हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत, कंपनी के किसी भी कार्यकलाप के लिए, केंद्र सरकार द्वारा लागत अभिलेखों का रखरखाव विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। अतः, आदेश के पैरा 3 के खंड (vi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

7 (क). कंपनी द्वारा भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सेवा कर/जी.एस.टी., सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और किसी समुचित प्राधिकरण की ओर से इस पर लागू अन्य किसी सांविधिक शुल्क सहित अविवादित सांविधिक देयताओं को नियमित तौर पर जमा किया है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार कोई अविवादित सांविधिक शुल्क, उनके देय होने की तारीख से छः माह की अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, आयकर, सेवा कर/जी.एस.टी., सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर के संबंध में कोई महत्वपूर्ण विवादित सांविधिक शुल्क देय नहीं है।

8 हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक अथवा डिबेंचर-धारक से कोई ऋण नहीं लिया गया है। अतः आदेश के पैरा 3 का खंड (viii) लागू नहीं होता है।

9 कंपनी द्वारा अवधि के दौरान इनिशियल पब्लिक ऑफर अथवा फर्दर पब्किल ऑफर (ऋण लिखत सहित) और मियादी ऋणों के जरिए कोई राशि एकत्रित नहीं की गई है अतः, आदेश के पैरा 3 का खंड (ix) लागू नहीं होता है।

10 संपादित की गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा अथवा कंपनी में उसके अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी न तो पाई गई है या न ही सूचित की गई है।

11 हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 में विनिर्दष्टानुसार अवधि के दौरान कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार के प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान /उपलब्ध नहीं कराया गया है, अतः आदेश के पैरा 3 का खंड (xi) लागू नहीं होता है।

12 यह कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है अतः आदेश के पैरा 3 का चूक संबंधी खंड (xii) लागू नहीं होता है।

13 हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा की गई कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किया गया लेन-देन व्यापार के सामान्य तरीके से निष्पक्ष आधार पर किया गया है और इसलिए, कंपनी पर अधिनियम की धारा 177 और 188 लागू नहीं होती है, तथापि, लागू लेखांकन मानकों के अनुसार, यथाअपेक्षित, वित्तीय विवरणों में ऐसे लेन-देन के ब्यौरों का प्रकटीकरण किया गया है।

14 कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, अवधि के दौरान, कंपनी द्वारा शेयरों अथवा पूर्णतः या आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचरों का अधिमान्य आबंटन अथवा संस्थागत बिक्री नहीं की गई है। अतः आदेश के पैरा 3 के खंड (xiv) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

15 हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा की गई कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी द्वारा निदेशकों अथवा इसके साथ संबंधित किन्हीं व्यक्तियों के साथ किसी नकदरहित लेन-देन में हिस्सा नहीं लिया गया है। अतः आदेश के पैरा 3 के खंड (xv) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

16 कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के तहत पंजीकृत किया जाना अपेक्षित नहीं है।

कृते वैश एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 005388 एन

सी.ए. विपिन जैन
(साझेदार)
सदस्यता संख्या. 512474

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: -

अनुलग्नक-II

घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों को जारी किए गए निर्देशों के संबंध में उत्तर दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए

क्र.सं.	विवरण	उत्तर
1.	क्या कंपनी में लेखा संबंधी लेन-देन को आई.टी. प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने के लिए प्रणाली विद्यमान है? यदि हां, तो आई.टी. प्रणाली से बाहर लेखा लेन-देनों को संसाधित करने में खातों की ईमानदारी संबंधी विवक्षाओं सहित वित्तीय विवक्षाएं, यदि कोई हो, का उल्लेख करें।	जी, हां।
2.	क्या ऋण को चुकाने की कंपनी की अक्षमता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी के किसी मौजूदा ऋण की पुनःसंरचना अथवा कर्ज/ऋण/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने का मामला तैयार किया गया है? यदि हां, वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाए।	कर्ज/ऋण/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है, अतः यह खंड लागू नहीं होता है।
3.	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से किसी विशिष्ट स्कीम के लिए प्राप्त की गई/प्राप्ति योग्य निधियों को उनकी निबंधन एवं शर्तों के अनुसार समुचित लेखा-जोखा तैयार किया गया/उपयोग किया गया है? विचलन के मामलों का उल्लेख करे।	केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट स्कीमों के लिए प्राप्त की गई/प्राप्त किए जाने योग्य कोई निधियां नहीं हैं, अतः यह खंड लागू नहीं होता है।

कृते वैश एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 005388 एन

सी.ए. विपिन जैन
(साझेदार)
सदस्यता संख्या. 512474
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक:

-

घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-III

31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिए घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट में सदर्भित अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खण्ड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में रिपोर्ट।

हमने 31 मार्च, 2019 के अनुसार घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है, जो उक्त तिथि को समाप्त अवधि के लिए हमारे द्वारा की गई कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के साथ-साथ की गई है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशकमंडल, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथाअपेक्षित कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखा अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित इसके व्यापार का सुव्यवस्थित और कुशल प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा था, को तैयार करना, कार्यान्वयन और रखरखाव, शामिल हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारे द्वारा की गई लेखा-परीक्षा के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में राय व्यक्त करना है। हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की किसी लेखा परीक्षा के संबंध में लागू सीमा तक, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट ("मार्गदर्शी नोट") और भारत सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट समझे जाने वाले लेखापरीक्षण संबंधी मानकों के अनुसार है। उन मानकों और मार्गदर्शी नोट में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना और कार्यान्वयन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए थे और क्या ऐसे नियंत्रण को सभी भौतिक मामलों में प्रभावी रूप से संचालित किया गया।

हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी संचालनात्मक प्रभावकारिता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाओं का संचालन शामिल है। हमारे द्वारा की गई वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आंकलन करना कि क्या कोई भौतिक कमजोरी मौजूद है, और आंकलित किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाईन और संचालनात्मक प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल हैं। चयनित प्रक्रियाएं, वित्तीय विवरणों की तथ्यात्मक गलतियों, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या किसी तरह की त्रुटि के कारण हो, के जोखिम के आकलन सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं।

हमें विश्वास है कि कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा की राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु हमें प्राप्त लेखा परीक्षा के साक्ष्य पर्याप्त और उपयुक्त हैं। .

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्य के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो सुसंगत विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निक्षेपण को शुद्ध और उचित रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन देती हैं कि लेनदेन को आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति के लिए यथाआवश्यक लेखबद्ध किया गया है; और कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय को केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किया जा रहा है; और (3) कंपनी की परिसम्पत्तियों, जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकती हैं, के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग और निक्षेप की रोकथाम अथवा समय पर पता लगाने के संबंध में सुसंगत आश्वासन प्रदान करना है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की सीमाएं

सांठगांठ अथवा अनुचित प्रबंधन की संभावना, नियंत्रणों के अधिरोहण सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के परिणामस्वरूप, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण वस्तुतः मिथ्या तथ्य दिए जा सकते है और इनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भावी अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का परियोजन इस जोखिम के अध्यधीन है कि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा कि नीतियों या प्रक्रियाओं की अनुपालना की स्थिति में कमी आ सकती है।.

राय

हमारी राय में, कंपनी में सभी भौतिक मामलों में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के

आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विद्यमान थे और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से संचालित थे।

कृते वैश एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 005388 एन

सी.ए. विपिन जैन
(साझेदार)
सदस्यता संख्या. 512474

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: -

<u>अनुपालन प्रमाण पत्र</u>

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निदेशों/उप-निदेशों के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिए घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड के खातों की लेखा-परीक्षा की है और यह प्रमाणित करते हैं कि हमने, हमें जारी किए गए सभी निदेशों/उप-निदेशों का पालन किया है।

कृते वैश एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 005388 एन

सी.ए. विपिन जैन
(साझेदार)
सदस्यता संख्या. 512474

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: -

घोगरपल्ली इंटिग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड
(सी.आई.ए.:यू45207डी.एल.2008जी.ओ.आई.178456)
31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

(₹ सैकड़े में)

	विवरण	**नोट सं.**	**31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार**	**31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार**	**1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार**
(I)	**परिसम्पत्तियां**				
(1)	**गैर-चालू परिसम्पत्तियां**				
	(क) प्रगति पर पूंजीगत कार्य	4	6,49,334.62	5,95,229.45	5,43,280.88
	(ख) वित्तीय परिसम्पत्तियां				
	(i)ऋण	5	11,27,165.21	11,40,420.82	11,54,689.18
	(ii) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	6	8,56,614.07	7,86,265.17	7,24,348.20
	कुलगैर-चालू परिसम्पत्तियां		26,33,113.89	25,21,915.43	24,22,318.26
(2)	**चालू परिसम्पत्तियां**				
	(क) वित्तीय परिसम्पत्तियां				
	(i) नकदी एवं नकदी समतुल्य	7	242.63	199.53	144.95
	(ख) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	8	132.40	61.98	-
	कुलचालू परिसम्पत्तियां		375.03	261.51	144.95
	कुलपरिसम्पत्तियां		**26,33,488.92**	**25,22,176.94**	**24,22,463.21**

(II)	**इक्विटी एवं देयताएं**				
(1)	**इक्विटी**				
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	9	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	(ख) अन्य इक्विटी	10	(333.63)	(333.63)	(333.63)
	कुलइक्विटी		4,666.37	4,666.37	4,666.37
2)	**गैर-चालू देयताएं**				
	(क)वित्तीय देयताएं				
	(i) ऋण	11	15,57,900.00	15,57,900.00	15,57,900.00
	(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	12	10,63,997.93	9,49,116.65	8,48,843.50
	कुलगैर-चालू देयताएं		26,21,897.93	25,07,016.65	24,06,743.50
(3)	**चालू देयताएं**				
	(क) वित्तीय देयताएं				
	(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	13	486.00	486.00	472.50
	(ख) अन्य चालू देयताएं	14	6,438.62	10,007.92	10,523.61
	(ग) चालू कर देयताएं (निवल)	15	-	-	57.23
	कुलचालू देयताएं		6,924.62	10,493.92	11,053.34
	कुलइक्विटी एवं देयताएं		**26,33,488.92**	**25,22,176.94**	**24,22,463.21**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति 1-3

वित्तीयों विवरणों के साथ संलग्न नोट देखें 1-39

निदेशक मंडल के लिए और उन्हीं की ओर से

पी. सी. हेम्ब्रमआलोक सिंघलपी.के. सिंह
निदेशकनिदेशकअध्यक्ष
डी.आई.एन.:02750881 डी.आई.एन.:00795955 डी.आई.एन.:03548218

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
निम्नलिखित की ओर से उन्हीं के लिए
वैश एंड एसोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण संख्या 005388एन

(कपिल कुमार खंडेलवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 513636
स्थान: नई दिल्ली
तारीख :

घोगरपल्ली इंटिग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड
(सी.आई.ए.:यू45207डी.एल.2008जी.ओ.आई.178456)
दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण

(₹ सैकड़े में)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालनों से राजस्व		-	-
अन्य आय		-	-
कुलआय(I)		**-**	**-**
व्यय			
अन्य व्यय		-	-
कुलव्यय (II)		**-**	**-**
कर पूर्व लाभ(I- II =III)		**-**	**-**
कर व्यय: (IV)			
चालू कर	17		

आस्थगित कर		- -	- -
कर उपरांत निवल लाभ(III - IV = V)		**-**	**-**
अन्य विस्तृत आय (VI)		-	-
अवधि के लिए कुल विस्तृत आय(V + VI =VII) (अवधि के लिए और लाभ(हानि) और अन्य विस्तृत आय को शामिल करते हुए)		**-**	**-**
प्रति इक्विटी शेयर आय: (VIII) आधारभूत एवं तनुकृत (10 रूपये प्रत्येक का सममूल्य)	18	-	-

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति 1-3
वित्तीयों विवरणों के साथ संलग्न नोट देखें 1-39

निदेशक मंडल के लिए और उन्हीं की ओर से

पी. सी. हेम्ब्रमआलोक सिंघलपी.के. सिंह
निदेशकनिदेशकअध्यक्ष

डी.आई.एन.:02750881

डी.आई.एन.:00795955

डी.आई.एन.:03548218

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
निम्नलिखित की ओर से उन्हीं के लिए
वैश एंड एसोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण संख्या 005388एन

(कपिल कुमार खंडेलवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 513636
स्थान: नई दिल्ली
तारीख :

घोगरपल्ली इंटिग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड

(सी.आई.ए.:यू45207डी.एल.2008जी.ओ.आई.178456)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹ सैकड़े में)

	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
क.	**प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**		
	कर पूर्व निवल लाभ	-	-
	के लिए समायोजित:		
	कर व्यय		
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ	**-**	**-**
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजन :		
	- वृद्धि/(कमी) अन्य चालू वित्तीय देयताएं	-	13.50
	-वृद्धि/(कमी) अन्य गैर चालू वित्तीय देयताएं	1,14,881.28	1,00,273.15
	- वृद्धि/(कमी) अन्य चालू देयताएं	(3,569.30)	(515.69)
	- अन्य चालू परिसम्पत्तियों में वृद्धि/(कमी)	(70.42)	(61.98)
	- गैर चालू ऋणों में वृद्धि/(कमी)	13,255.61	14,268.36
	- वृद्धि/(कमी) अन्य गैर चालू वित्तीय परिसम्पत्तियां	(70,348.90)	(61,916.97)
	- वृद्धि/(कमी) अन्य चालू कर देयताएं	-	(57.23)
	प्रचालन गतिविधियों से अर्जित नकद	**54,148.27**	**52,003.14**
	भुगतान किया गया आयकर	-	-
	प्रचालन गतिविधियों से निवल नकद	**54,148.27**	**52,003.14**

ख.	**निवेशी गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**		
	प्रगति पर पूंजीगत कार्य में परिवर्तन	(54,105.17)	(51,948.57)
	निवेशी गतिविधियों से निवल नकद	**(54,105.17)**	**(51,948.57)**
ग.	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**		
	ऋण से प्राप्त	-	-
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकद	**-**	**-**
	नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)	**43.10**	**54.58**
	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार नकदी और नकदी समतुल्य (अथशेष)	**199.53**	**144.95**
	31 मार्च तक की स्थिति के अनुसार नकदी और नकदी समतुल्य (अंतशेष) को शामिल करते हुए:	**242.63**	**199.53**
	बैंकों में चालू खातों में अधिशेष	242.63	199.53

निदेशक मंडल के लिए और उन्हीं की ओर से

पी. सी. हेम्ब्रमआलोक सिंघलपी.के. सिंह

निदेशकनिदेशकअध्यक्ष

डी.आई.एन.:02750881 **डी.आई.एन.:00795955** **डी.आई.एन.:03548218**

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

निम्नलिखित की ओर से उन्हीं के लिए

वैश एंड एसोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण संख्या 005388एन

(कपिल कुमार खंडेलवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 513636
स्थान: नई दिल्ली
तारीख :

घोगरपल्ली इंटिग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड
(सी.आई.ए.:यू45207डी.एल.2008जी.ओ.आई.178456)
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ सैकड़े में)

विवरण	**31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार**
1 अप्रैल, 2017 को अधिशेष	5,000.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2018 को अधिशेष	5,000.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2019 को अधिशेष	5,000.00

ख. अन्य इक्विटी

(₹ सैकड़े में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार
प्रतिधारित आय	
1 अप्रैल, 2017 को अधिशेष	(333.63)
वर्ष (वित्त वर्ष 2017-18) के लिए कुल विस्तृत आय	-
31 मार्च, 2018 को अधिशेष	(333.63)
वर्ष (वित्त वर्ष 2018-19) के लिए कुल विस्तृत आय	-
31 मार्च, 2019 को अधिशेष	(333.63)

निदेशक मंडल के लिए और उन्हीं की ओर से

पी. सी. हेम्ब्रमआलोक सिंघलपी.के. सिंह
निदेशकनिदेशकअध्यक्ष
डी.आई.एन.:02750881 डी.आई.एन.:00795955 डी.आई.एन.:03548218

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

निम्नलिखित की ओर से उन्हीं के लिए
वैश एंड एसोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण संख्या 005388एन

(कपिल कुमार खंडेलवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 513636
स्थान: नई दिल्ली
तारीख :

घोगरपल्ली इंटिग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड

सी.आई.ए.:यू45207डी.एल.2008जी.ओ.आई.178456

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण संबंधी नोट

1 निगमितजानकारी

घोगरपल्ली इंटिग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड(“कंपनी”) को कंपनीअधिनियम, 1956 के तहत पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पी.एफ.सी.), भारत सरकारका एक उपक्रम, की पूर्णतः स्वामित्व वाली सहायक संस्था के रूप में दिनांक 22मई 2008में निगमित किया गया था। कार्य की शुरूआत करने संबंधी प्रमाणपत्र दिनांक 16 अप्रैल, 2009को जारी किया गया। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय प्रथम तल, ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनाट प्लेस, नई दिल्ली- 110001 में स्थित है। यह कंपनी एकविशिष्ट कार्य संस्था है जिसका निगमन ओडिशा राज्य में 4000 मेगावाट की अतिविस्तृत (अल्ट्रा मेगा) विद्युत परियोजना की स्थापना के उद्देश्य से भूमि केअधिग्रहण और पर्यावरण, वन इत्यादि की अनुमति सहित कानूनी अनुमति से संबंधितप्राथमिक कार्य को पूरा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था।

2 सामान्य

(क) निर्मिति काआधार और अनुपालना का विवरण

इन वित्तीय विवरणों को परंपरागत लागत और लेखांकन केप्रोद्भवन आधार पर तैयार किया गया है और ये कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (यथासंशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (“इंड ए.एस.” के रूप मेंसंदर्भित) तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार हैं। ये कंपनीके प्रथम इंड ए.एस. वित्तीय विवरण हैं। इंड ए.एस. में संक्रमण की तिथि 1 अप्रैल, 2017 तक है।

कंपनी ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष तक अपने वित्तीय विवरण पूर्व में लागू जी.ए.ए.पी. कीअपेक्षओं के अनुसार तैयार किए थे, जिनमें कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठितकंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक (ए.एस.) शामिलथे।

वित्तीय विवरणों मेंविगत अवधि के आंकड़ों को उन्हीं लेखांकन मानकों के अनुसार प्रस्तुत किया गया हैजिन्हें कंपनी के पहले इंड ए.एस. वित्तीय विवरणों को तैयार करने में उपयोग कियागया है।

कंपनी के वित्तीयविवरणों को भारतीय रूपये (आई.एन.आर.) में प्रस्तुत किया गया है जो कि इसकीकार्यकरण की मुद्रा है।

कंपनी द्वारा पहलीबार अपनाए जाने के संबंध में ली गई छूटों के ब्यौरों को नोट संख्या 38परप्रस्तुत किया गया है।

इन वित्तीय विवरणोंमें राशि को दो दशमलव बिंदुओं के निकटतम सौ (जब तक कि दर्शाया न जाए) तकसमायोजित किया गया है।

(ख) अनुमानों काउपयोग

वित्तीय विवरणों कोतैयार करने में प्रबंधन द्वारा अनुमान लगाना और पूर्वधारणा अपेक्षित है जोवित्तीय विवरणों की तारीख के अनुसार राजस्व, व्यय की संसूचित राशि, परिसम्पत्तियों और देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं के संबंध में प्रकटीकरण कोप्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम उन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानऔर अंतर्निहित पूर्वधारणा की पुनरीक्षा नियमित आधार पर की जाती है। लेखाअनुमानों में संशोधन का निर्धारण उस अवधि में किया जाता है जिसमें अनुमानों कोसंशोधित किया गया हो और जिनसे कोई भावी अवधि प्रभावित होती हो।

3 महत्वपूर्णलेखांकन नीतियां

(क) आय/व्यय का निर्धारण

आय और व्यय (नीचे दिएगए के अलावा) का लेखा-जोखा प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

अति विशाल (अल्ट्रा मेगा) विद्युत परियोजना को तैयार करने में पी.एफ.सी./पी.एफ.सी.सी.एल. को प्रदेय परामर्शी एवं पेशेवर सेवाओं के लिए शुल्क का निर्धारण सफल बोली लगाने वाले को कंपनी के हस्तांतरण के वर्ष में किया जाता है।

(ख) ऋण लागत

ऋण लागत जो कि अचल परिसम्पत्तियों, जिन्हें उनकेआशयित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए काफी समय लगता है, के अधिग्रहण, निर्माणसे संबंधित हैं, को ऐसी अचल परिसम्पत्तियों की लागत के भाग के रूप में ऐसीपरिसम्पत्तियों को उपयोग के लिए तैयार किए जाने की अवधि से संबंधित सीमा तकपूंजी में परिणत किया जाता है। अन्य उधारी लागतों को उस वर्ष, जिसमें उन्हें वहनकिया गया है, के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

(ग) प्रगति पर पूंजीगत कार्य

भूमि अधिग्रहण/सर्वेक्षण/अध्ययन/जांच/परामर्श/प्रशासनिक/मूल्यहास/ब्याज आदि केसंबंध में वहन किए गए व्यय और निर्माण अवधि के दौरान अन्य व्ययों को पूंजी मेंपरिणत किया जाता है और उन्हें प्रगति पर पूंजीगत कार्य माना जाता है।

(घ) पूर्वावधि व्यय

पूर्वावधि कीमहत्वपूर्ण त्रुटियों में पूर्वव्यापी तरीके से पूर्वावधि, जिसमें त्रुटि हुई, में प्रस्तुत की गई तुलनात्मक राशि का पुनः उल्लेख करते हुए सुधार किया जाता है।यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई पूर्व अवधि से पहले हुई हो, तो प्रस्तुत की गई पूर्वअवधि की परिसम्पत्तियों, देयताओं के अथशेष और इक्विटी का पुनः उल्लेख किया जाताहै।

(ङ) नकदी एवं नकदी समतुल्य

नकदी के तहत हस्तगतनकद, डिमांड डिपोजिट शामिल होते हैं। कंपनी सभी अल्पावधिक अधिशेषों (जिनकी मूलपरिपक्वता अवधि अधिग्रहण से तीन माह या कम है) उच्चतर नकदी निवेश, जो नकदी कीनियत राशि में शीघ्रता से परिवर्तित किए जा सकते हैं और जिनमें मूल्य परिवर्तनसंबंधी मामूली जोखिम हो, को नकदी समतुल्य समझती है।

(च) नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरणऐसी अप्रत्यक्ष रीति के अनुसार तैयार किए जाते हैं जिसके द्वारा कर पूर्व निवललाभ/(हानि) को गैर-नकदी प्रकृति के किसी लेन-देन और विगत अथवा भावी नकद प्राप्तिअथवा भुगतान के स्थगन अथवा संग्रहण के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।कंपनी की प्रचालन, निवेशी और वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह को पृथक कियाजाता है।

(छ)	**कराधान**
	आयकर व्यय मेंवर्तमान और आस्थगित कर शामिल होते हैं। इसका निर्धारण लाभ एवं हानि विवरण में, जब यह किसी ऐसी मद से संबंधित हो जिसे ओ.सी.आई.अथवा प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी, जिसके मामले में भी, कर को ओ.सी.आई. अथवा प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी मेंनिर्धारित किया जाता है, में निर्धारित किया गया है को छोड़कर, किया जाता है।
	चालू कर वह कर हैजिसे उस तिथि को अधिनियमित अथवा विधिवत अधिनियमित और लागू कर दर का उपयोग तथाविगत वर्ष के संबंध में देय करों का समायोजन करते हुए वर्ष के लिए कराधीन आय केसंबंध में भुगतान किया जाना अपेक्षित है।
	आस्थगित कर का निर्धारण वित्तीय विवरणों मेंपरिसम्पत्तियों और देयताओं की वहन राशि और कराधीन आय की गणना में उपयोग किए गएसंगत कर के आधारों के बीच अस्थायी अंतर के आधार पर किया जाता है। आस्थगित कर कीगणना कानूनों के आधार पर कर दर पर की जाती है जिसे रिपोर्टिंग की तारीख कोअधिनियमित अथवा विधिवत अधिनियमित किया गया हो। यदि चालू कर परिसम्पत्तियों औरदेयताओं को समायोजित करने का विधिक रूप से प्रवर्तित अधिकार हो तो आस्थिगत करपरिसम्पत्तियों और देयताओं को समायोजित किया जाता है।
	कोई आस्थिगत करपरिसम्पत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए उस सीमा तक निर्धारितकिया जाता है जिसमें यह संभाव्य हो कि करयोग्य लाभ उस सीमा तक उपलब्ध होंगे जहांतक कटौतीयोग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर देयताओं कीपुनरीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को की जाती है इन्हें उस सीमा तक कम कियाजाता है जिसमें इस बात की बिल्कुल संभावना न हो कि संबंधित कर लाभों को अर्जितकिया जाएगा।
	प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में आस्थिगत करपरिसम्पत्तियों की वहन राशि की पुनरीक्षा की जाती है और इन्हें उस सीमा तक कमकिया जाता है जिसमें इस बात की बिल्कुल संभावना न हो कि वसूली की जाने वालीपरिसम्पत्तियो के सभी भागों को नियत करनेहेतु पर्याप्त कर लाभ उपलब्ध होंगे।

(ज) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

i. प्रावधानों को उस स्थिति में मान्यता दी जाती है जब किसी विगत घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमानदायित्व (विधिक अथवा निर्माण संबंधी) हो, यदि यह संभाव्य हो कि कंपनी द्वारादायित्व का निपटान अपेक्षित होगा और एक दायित्व की राशि के संबंध में एकविश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके। प्रावधान के रूप में मान्यताप्राप्त राशि, दायित्वों के जोखिमों और प्रतिवेशी अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्वों के निपटान के लिए अपेक्षित प्रतिफलका बेहतरीन अनुमान है। जब कुछेक अथवा सभी आर्थिक लाभों से निपटान अपेक्षित हो, प्रावधान को तृतीय पक्ष से वसूल किया जाना आशयित हो तोकिसी प्राप्य केएक परिसम्पत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वस्तुतः यह निश्चित हो किप्रतिपूर्ति की जाएगी और प्राप्य की राशि का मूल्यांकन विश्वसनीय रूप सेकिया जा सकता है।

ii. जहां यह संभव न हो किआर्थिक लाभों का बहिर्वाह आवश्यक होगा अथवा राशि का अनुमान विश्वसनीय रूप सेनहीं लगाया जा सकता, दायित्व को आकस्मिक देयताओं के रूप में लेखा की टिप्पणियोंमें प्रकट किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभावना कम न हो।

iii. आकस्मिकपरिसंपत्तियों के वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है किंतु उन्हेंउस स्थिति में प्रकट किया जाता है जब आर्थिक लाभों के अंतर्वाह की संभावना हो।

iv. प्रत्येक तुलन पत्रकी तारीख को इनकी पुनरीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को दर्शानेके लिए इन्हें समायोजित किया जाता है।

(झ) वित्तीय लिखत

वित्तीयपरिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं को उस स्थित में मान्यता दी जाती है जब कंपनीवित्तीय लिखत के संविदात्मक प्रावधानों में एक पक्ष बन जाती है।

आरम्भिक मान्यता होने पर, वित्तीय परिसम्पत्तियां और वित्तीय देयताओं को उचितमूल्य जमा/घटा लेन-देन की लागत, जो वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओंके अधिग्रहण अथवा निर्गम से संबंधित है, को मान्यता दी जाती है। वित्तीयपरिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं जिन्हें लाभ एवं हानि के माध्यम से उचितमूल्य पर निर्धारित किया जाता है, के मामले में, इनकी लेन-देन लागत को लाभ एवंहानि के विवरण में निर्धारित किया जाता है।

झ.1 वित्तीयपरिसम्पत्तियां

वित्तीय परिसम्पत्तियों की सभी नियमित रीति की खरीदऔर बिक्री का निर्धारण और गैर-निर्धारण निपटान तारीख के आधार पर किया जाताहै।

आरम्भिक मान्यता होने पर, वित्तीय परिसम्पत्तियों को या तो परिशोधित लागत अथवा उचित मूल्य परउनकी समग्रता में वित्तीय परिसम्पत्तियों के वर्गीकरण के आधार पर मूल्यांकितकिया जाता है।

i) **वित्तीयपरिसम्पत्तियों का वर्गीकरण और मूल्यांकन (इक्विटी लिखत को छोड़कर)**

क)परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसम्पत्तियां: निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली वित्तीय परिसम्पत्तियों को प्रभावी ब्याज दर पद्धति (ई.आई.आर.) काउपयोग करते हुए, तदोपरांत परिशोधित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है:

• परिसम्पत्ति का धारण किसी ऐसे व्यापार मॉडल में किया जाता हो जिसका उद्देश्यसंविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रहण के उद्देश्य से परिसम्पत्तियों को धारित करनाहो; और

• परिसम्पत्ति की संविदात्मक शर्तें विशिष्ट तारीख को नकदी प्रवाह जो कि बकायामूल राशि पर केवल मूल और ब्याज का भुगतान (एस.पी.पी.आई.) है, का सृजन करती हैं

ख) अन्य विस्तृत आयके माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियां (एफ.वी.टी.ओ.सी.आई.) किसी वित्तीय परिसम्पत्ति का मूल्यांकन एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. पर किया जाता है यदिनिम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हों:

• व्यापार मॉडल के उद्देश्य की प्राप्ति, संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रहणऔर वित्तीय परिसम्पत्तियों के विक्रय दोनों से होती है; और

• परिसम्पत्ति की संविदात्मक शर्तें विशिष्ट तारीख को नकदी प्रवाह जो कि बकायामूल राशि पर केवल मूल और ब्याज का भुगतान (एस.पी.पी.आई.) हैं, में वृद्धि करतीहो.

ग) लाभ अथवा हानि केमाध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियां (एफ.वी.टी.पी.एल.) किसी वित्तीय परिसम्पत्ति का मूल्यांकन एफ.वी.टी.पी.एल. पर किया जाता है जब तककि इसे लाभ एवं हानि विवरण में निर्धारित उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों के साथपरिशोधित लागत अथवा एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. पर मूल्यांकित नहीं किया जाता है।

ii) **वित्तीय परिसम्पत्तियों का विकृत होना**

क) आरम्भिक मान्यता होने पर, कंपनी परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीयपरिसम्पत्तियों के संबंध में आशयित क्रेडिट हानि (ई.सी.एल.) को मान्यता देती है। ऐसी वित्तीय परिसम्पत्तियों, ऋण परिसम्पत्तियों को छोड़कर, के संबंध मेंई.सी.एल. का मूल्यांकन आजीवन आशयित हानि के बराबर राशि पर किया जाता है।
इस बात को छोड़कर कि ई.सी.एल. को अन्य विस्तृत आय में मान्यता दी जाती हैऔर तुलनपत्र की वहन राशि में से घटाया नहीं गया है, ई.सी.एल. के निर्धारण औरमूल्यांकन के लिए विकृत अपेक्षाओं को समान रूप से एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. पर ऋणपरिसम्पत्तियों के संबंध में लागू किया जाता है।

ख) ऋण परिसम्पत्तियोंका विकृत होना तथा आश्वासन पत्र (एल.ओ.सी.) के तहत प्रतिबद्धताएं:
कंपनी ऋण परिसम्पत्तियों के संबंध में ई.सी.एल. का मूल्यांकन आजीवन ई.सी.एल.के बराबर राशि पर करती है यदि आरम्भिक मान्यता के बाद से, कोई क्रेडिट विकृतिहो अथवा क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि (एस.आई.सी.आर.) हुई हो। यदिआरम्भिक निर्धारण की तुलना में कोई एस.आई.सी.आर. नहीं है, तो कंपनी ई.सी.एल. कामूल्यांकन 12 माह के ई.सी.एल. के बराबर राशि पर करती है। जब आरम्भिक निर्धारण केबाद से किसी एस.आई.सी.आर. की संभावना के बारे में मूल्यांकन किया जाता है, कंपनीऐसी संगत और सहायक जानकारी पर विचार करती है जो बिना किसी अनुचित लागत अथवाप्रयास के उपलब्ध हो। यदि कंपनी ने विगत अवधि में हानि भत्ते को आजीवन ई.सी.एल.के रूप में मूल्यांकित किया था, किंतु अनुवर्ती अवधि में यह निर्धारित करती हैकि क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार के कारण आरम्भिक निर्धारण में कोई एस.आई.सी.आर.नहीं है, तो कंपनी द्वारा पुनः हानि भत्ते का मूल्यांकन 12 माह के ई.सी.एल. आधारपर किया जाता है। क्रेडिट विकृत ऋण परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन व्यक्तिगत आधारपर किया जाता है और अन्य ऋण परिसम्पत्तियों के लिए इसका मूल्यांकन सामान्यतःएकसमान समूहों को उपयोग करते हुए संग्रहण आधार पर किया जाता है।

ग) विकृत हानियों औरवापसी को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

iii) वित्तीयपरिसम्पत्तियों की अमान्यता

कंपनी किसी वित्तीय परिसम्पत्ति का अमान्यता तब करती है जब परिसम्पत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं अथवा जब यह वित्तीय परिसम्पत्तियों और परिसम्पत्तियों के स्वामित्व के सभी वास्तविक जोखिमों और प्रतिफलों को दूसरे पक्ष को हस्तांतरित कर देती है।

किसी वित्तीय परिसम्पत्ति का उसकी समग्रता में अमान्यता, परिसम्पत्ति की वहन राशि और प्राप्त तथा प्राप्ति योग्य प्रतिफल की राशि के बीच अंतर और समग्र लाभ अथवा हानि जिसे अन्य विस्तृत आय में निर्धारित किया गया था और इक्विटी में संचित किया गया था का निर्धारण लाभ एवं हानि विवरण में किया जाता है यदि ऐसे लाभ अथवा हानि को अन्यथा- उस वित्तीय परिसम्पत्ति के निष्पादान के संबंध में लाभ एवं हानि विवरण में निर्धारण किया गया हो।.

झ.2 वित्तीय देयताएं

i) डेरिवेटिव्स औरवित्तीय गारंटी संविदाओं को छोड़कर सभी वित्तीय देयताओं को प्रभावी ब्याज दरपद्धति (ई.आई.आर.) का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मूल्यांकित किया जाताहै।
ई.आई.आर. का निर्धारण वित्तीय देयताओं के आरम्भिक निर्धारण के समय किया जाताहै। तदुपरांत, ई.आई.आर. को संबंधित संविदा की शर्तों के अनुसार, संबंधित रीसेटतारीख को अस्थिर ब्याज दर वाली वित्तीय देयताओं के लिए अद्यतन किया जाताहै।

ii) वित्तीय देयताओंका अनिर्धारण: कंपनी वित्तीय देयताओं को अनिर्धारण केवल तब करती है जब कंपनी केदायित्वों का निष्पादन हो गया हो, रद्द हो गये हों अथवा समाप्त हो गए हों।वित्तीय देयताओं की वहन राशि और प्रदत्त और प्रदेय प्रतिफल के बीच अंतर को लाभएवं हानि विवरण में निर्धारित किया जाता है।

(ञ) प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय कीगणना, करके उपरांत निवल लाभ को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसतसंख्या से भाग देकर की जाती है। प्रति शेयर मिश्रित आय की गणना कर उपरांतलाभ को प्रति शेयर मूल आय निकालने के लिए विचारित इक्विटी शेयरों की भारित औसतसंख्या और उनक इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जिन्हें सभी तनुकृत संभाव्यइक्विटी शेयरों के परिवर्तन के बाद जारी किया गया, से भाग देते हुए की जातीहै।

घोगरपल्ली इंटिग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड
(सी.आई.ए.:यू45207डी.एल.2008जी.ओ.आई.178456)
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाला नोट

4. प्रगति पर पूंजीगत कार्य

(₹ सैकड़े में)

विवरण	**31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार**	**31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार**	**1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार**
प्रगति पर पूंजीगत कार्य अधिशेष	5,95,229.45	5,43,280.88	5,43,280.88
जोड़े: निर्माण अवधि के दौरान व्यय से अंतरित (नोट संख्या 17)	54,105.17	51,948.57	-
	6,49,334.62	**5,95,229.45**	**5,43,280.88**

5. ऋण (गैर चालू)

(₹ सैकड़े में)

विवरण	**31 मार्च, 2019 तक की**	**31 मार्च, 2018 तक की**	**1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के**

	स्थिति के अनुसार	स्थिति के अनुसार	अनुसार
अप्रतिभूत, उचित समझी गई(परिशोधित लागत पर) संबंधित पक्षों को ऋण (पावर फाइनेंस कोरपोरेशन लिमिटेड)	11,27,165.21	11,40,420.82	11,54,689.18
	11,27,165.21	**11,40,420.82**	**11,54,689.18**

6. अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां (गैर चालू)

(₹ सैकड़े में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
परिशोधित लागत पर लाई गई प्रोदभूत ब्याज किंतु जो संबंधित पक्ष से देय नहीं है (पावर फाइनेंस कोरपोरेशन लिमिटेड)	8,56,614.07	786265.17	724348.2
	856614.07	**786265.17**	**724348.2**

7. नकदी एवं नकदी समतुल्य

(₹ सैकड़े में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
बैंकों में अधिशेष			
चालू खातों में	242.63	199.53	144.95
	242.63	**199.53**	**144.95**

8. अन्य चालू परिसम्पत्तियां

(₹ सैकड़े में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
अप्रतिभूत, उचित समझी गई -			
टी.डी.एस. प्राप्तियोग्य	132.40	61.98	-

	132.40	61.98	-

घोगरपल्ली इंटिग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड
(सी.आई.ए.:यू45207डी.एल.2008जी.ओ.आई.
178456)
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग
का सृजन करने वाला नोट

9. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ सैकड़े में)

विवरण	**31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार**	**31 मार्च, 2018तक की स्थिति के अनुसार**	**1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसर**
अधिकृत शेयर पूंजी प्रत्येक 10 रूपये मूल्य के 50,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार: 50,000; 1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार: 50,000)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
निर्गत, सब्सक्राईब और संदत्त पूंजी में शामिल: प्रत्येक 10 रूपये मूल्य के 50,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार: 50,000; 1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार: 50,000)	5,000.00	5,000.00	5,000.00

	5,000.00	**5,000.00**	**5,000.00**

(i) वर्ष के आरम्भ और अंत मेंबकाया शेयरों की संख्या का समामेलन:

(₹ सैकड़े में)

विवरण	**31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार**		**31 मार्च, 2018तक की स्थिति के अनुसार**	
	धारित शेयरों की संख्या	**राशि**	**धारित शेयरों की संख्या**	**राशि**
वर्ष के आरम्भ में बकाया शेयर	50,000	5,000.00	50,000	5,000.00
वर्ष के दौरान निर्गत शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	50,000	5,000.00	50,000	5,000.00

(ii) इक्विटी शेयर से संबद्ध अधिकार,
प्राथमिकताएं और प्रतिबंध:

कंपनी के पास 10 रूपये प्रति शेयर सम मूल्य के इक्विटी शेयरों कीएक श्रेणी है। प्रत्येक शेयरधारक उसके द्वारा धारित प्रति शेयर के अनुसार एक वोट देनेका पात्र है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश, अंतरिम लाभांश के मामले कोछोड़कर, आगामी वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है।सम्पत्ति के मामले में, इक्विटीशेयरधारक सभी प्राथमिक राशियों के वितरण के पश्चात् कंपनी की शेष परिसम्पत्तियोंको उनके द्वारा धारित शेयर के अनुपात में प्राप्त करने के

हकदार हैं।

(iii) धारक कंपनी द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का विवरण **(₹ सैकड़े में)**

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि
31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार		
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड*	50,000	5,000.00
31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार		
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड*	50,000	5,000.00
1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार		
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड*	50,000	5,000.00

(iv) कंपनी में 5% से अधिक शेयर धारण करने वाले प्रत्येकशेयरधारक द्वारा धारित शेयरों का विवरण:

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार

अनुसार						
	धारित शेयरों की संख्या	**%**	**धारित शेयरों की संख्या**	**%**	**धारित शेयरों की संख्या**	**%**
पूर्णतः संदत्त इक्विटी शेयर पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, धारक कंपनी	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%

* इक्विटी शेयर पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा और इसके नामित्तियों के माध्यम से धारित हैं.

घोगरपल्ली इंटिग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड
(सी.आई.ए.:यू45207डी.एल.2008जी.ओ.आई.178456)
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाला नोट

10. अन्य इक्विटी

(₹ सैकड़े में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
प्रतिधारित आय			
वर्ष के आरम्भ में अधिशेष	(333.63)	(333.63)	(467.98)
वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय	-	-	134.35
वर्ष के अंत में अधिशेष	**(333.63)**	**(333.63)**	**(333.63)**

11. ऋण (गैर चालू)

(₹ सैकड़े में)

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार

परिशोधित लागत पर लाई गई			
प्रतिबद्धता अग्रिम (अप्रतिभूत)	15,57,900.00	15,57,900.00	15,57,900.00
	15,57,900.00	**15,57,900.00**	**15,57,900.00**

ऋण के पुनर्भुगतान की शर्तेः कंपनी को सफल बोली लगाने वाले को अंतरण की तारीख के 15 दिनों की अवधि के भीतर पुनर्भुगतान

12. अन्य वित्तीय देयताएं (गैर चालू)

(₹ सैकड़े में)

विवरण	**31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार**	**31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार**	**1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार**
प्रोदभूत ब्याज किंतु जो ऋण पर देय नहीं है	10,63,982.25	9,49,100.97	8,48,827.82
प्रोदभूत ब्याज किंतु जो ऋण पर देय नहीं है (संबंधित पक्ष)	15.68	15.68	15.68
	10,63,997.93	**9,49,116.65**	**8,48,843.50**

13. अन्य वित्तीय देयताएं (चालू)

(₹ सैकड़े में)

विवरण	**31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार**	**31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार**	**1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार**

चालू - परिशोधित लागत पर			
देय व्यय	486.00	486.00	472.50
	486.00	**486.00**	**472.50**

14. अन्य चालू देयताएं

(₹ सैकड़े में)

विवरण	**31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार**	**31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार**	**1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार**
सांविधिक देय	6,438.62	10,007.92	10,523.61
	6,438.62	**10,007.92**	**10,523.61**

15. चालू कर देयताएं (निवल) **(₹ सैकड़े में)**

विवरण	**31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार**	**31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार**	**1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार**
आय कर के लिए प्रावधान	-	-	57.23

	-	-	**57.23**

16. निर्माण अवधि के दौरान व्यय

(₹ सैकड़े में)

विवरण	**31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए**
परामर्श प्रभार एवं व्यावसायिक शुल्क	1,822.24	1,118.72
विधिक एवं व्यावसायिक शुल्क	356.68	603.10
आउटसोर्सिंग व्यय	217.55	278.32
टूर एवं ट्रैवलिंग व्यय	172.47	374.58
बैंक प्रभार	7.80	8.19
मुद्रण एवं स्टेशनरी व्यय	0.35	26.02
कार्यालय रखरखाव व्यय		

लेखा परीक्षक को भुगतान:	10.04	1.12
लेखा परीक्षकों के रूप में	531.00	531.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	131.46	750.40
उप-योग (क)	**3,249.59**	**3,691.45**
<u>ब्याज व्यय</u>		
उपयोग किया गया	50,855.58	48,257.12
उपयोग न किया गया	70,419.32	61,978.95
घटाएं: पी.एफ.सी. से प्राप्ति योग्य ब्याज on उपयोग न किया गया portion	(70,419.32)	(61,978.95)
उप-योग (ख)	**50,855.58**	**48,257.12**
नोट संख्या में अंतरित कुल व्यय	**54,105.17**	**51,948.57**

17. आयकर

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
चालू कर चालू वर्ष के संबंध में		

आस्थगित कर चालू वर्ष के संबंध में	- -	- -
चालू वर्ष में मान्यताप्राप्त कुल आयकर व्यय	-	-
वर्ष के लिए आयकर व्यय को लेखा प्रोफाइल के साथ निम्नानुसार समामेलित किया जा सकता है।: कर पूर्व लाभ लागू कर दर संगणित कर व्यय लाभ अथवा हानि में मान्यताप्राप्त आयकर व्यय	- 26.00% - -	- 25.75% - -

18. प्रति शेयर आय

(₹ सैकड़े में)

विवरण	**31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष**
आधारभूत और तनुकृत प्रति शेयर आय		
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य	10	10
शेयरधारकों से संबंधित लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार कर उपरांत निवल लाभ/(हानि)	-	-

आधारभूत ई.पी.एस. की गणना के लिए सूचक के रूप में उपयोग की गई इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या **आधारभूत और तनुकृत प्रति शेयर आय** कंपनी द्वारा कोई तनुकृत लिखत जारी नहीं की गई	50,000 -	50,000 -

घोगरपल्ली इंटिग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड
(सी.आई.ए.:यू45207डी.एल.2008जी.
ओ.आई.178456)
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाला
नोट

19. वित्तीय लिखत

(1) पूंजी प्रबंधन

कंपनीअपनीपूंजीकाप्रबंधनयहसुनिश्चितकरनेकेलिएकरतीहैकि यह बिहार राज्य में अति विशाल (अल्ट्रा मेगा) विद्युत परियोजना के उद्देश्य के लिए भूमि के अधिग्रहण संबंधी पूंजी अपेक्षाओं और पर्यावरण, वन आदि की अनुमति सहित सांविधिक अनुमति के संबंध में प्राथमिक कार्यों से संबंधित व्यय को पूरा करने में समर्थ हो सके। कंपनी अपने प्रचालनों का वित्तपोषण प्रतिबद्धता अग्रिम के रूप में प्राप्त राशि के माध्यम से करती है।

कंपनी बाह्य रूप से अधिरोपित किन्हीं पूंजी अपेक्षाओं के अध्यधीन नहीं है।

कंपनी का बोर्ड कंपनी की पूंजी संरचना की पुनरीक्षा आवश्यकता के आधार पर करता है। निधि संबंधी अपेक्षाओं को ऋणों और अग्रिमों के मिश्रण के माध्यम से पूरा किया जाता है। प्रत्याशित निधियन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कंपनी की नीति लघु-अवधि और दीर्घावधि ऋणों के उपयोग करने की है।

(i) वित्तीय लिखत की श्रेणियां **(₹ सैकड़े में)**

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
परिशोधित लागत पर लेखबद्ध की गई वित्तीय परिसम्पत्तियां			

नकदी एवं बैंक अधिशेष	242.63	199.53	144.95
ऋण	11,27,165.21	11,40,420.82	11,54,689.18
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	8,56,614.07	7,86,265.17	7,24,348.20
वित्तीय देयताएं			
ऋण	15,57,900.00	15,57,900.00	15,57,900.00
अन्य वित्तीय देयताएं	10,63,997.93	9,49,116.65	8,48,843.50

(ii) वित्तीय जोखिम प्रबंधन लक्ष्य

कंपनी का कोरपोरेट राजस्व प्रभाग, जोखिमों के मात्रा और आकार के अनुसार संवदेनशीलता का विश्लेषण करते हुए, कंपनी के प्रचालनों से संबंधित वित्तीय जोखिमों की निगरानी और प्रबंध करता है। इन जोखिमों में बाजार जोखिम (मुद्रा जोखिम, ब्याज जोखिम और अन्य मूल्य संबंधी जोखिम सहित), क्रेडिट जोखिम और सम्पत्ति जोखिम शामिल होतें हैं।

(iii) बाजार जोखिम

कंपनी की गतिविधियां इसे मुख्य रूप से ब्याज दरों में परिवर्तन संबंधी वित्तीय जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाती हैं (कृपया नीचे नोट vi का अवलोकन करें)

बाजार जोखिम संवेदनशीलता का मूल्यांकन संवेदनशीलता विश्लेषण का उपयोग करते हुए किया जाता है।

बाजार जोखिमों के प्रति कंपनी की संवेदनशीलता अथवा उस रीति, जिसके माध्यम से इन जोखिमों का प्रबंधन और मूल्यांकन किया जा रहा है, में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।.

(v) विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

कंपनी का विदेशी मुद्रा में कोई लेन-देन नहीं होता है।

(vi) ब्याज दर जोखिम प्रबंधन

कंपनी ब्याज दर जोखिम के प्रति संवेदनशील है क्योंकि यह राज्य क्षेत्रउधारकर्ताओं (श्रेणी क) की श्रेणी के तहत समय-समय पर यथानिर्धारित ब्याज दर (अस्थिर ब्याज दर) पर निधियां उधार लेती है। .

वित्तीय परिसम्पत्तियों औऱ वित्तीय देयताओं के संबंध में ब्याज दर के प्रति कंपनी की संवेदनशीलता का विवरण इस नोट के सम्पत्ति जोखिम प्रबंधन खंड में दिया गया है।

ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

नीचे दिये गयेसंवेदनशीलता विश्लेषण का निर्धारण वित्त वर्ष के अंत में डेरिवेटिव और गैर डेरिवेटिव लिखत दोनो, के लिए ब्याज दरों के प्रति संवेदनशीलता के आधार पर किया गया है।अस्थिर दर वाली देयताओं के लिए, विश्लेषण, वित्त वर्ष के अंतमें बकाया देयताओं की राशि को मानते हुए तैयार किया गया है जोकि सम्पूर्ण वर्ष के दौरान बकाया थीं।. मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को आंतरिक रूप से ब्याज दर जोखिम की सूचना देने और ब्याज दरों में सुसंगत संभाव्य परिवर्तनों का प्रबंधन द्वारा मूल्यांकन प्रस्तुत करने के लिए एक 50 बेसिस प्वाईंट वृद्धि अथवाकमी का उपयोग किया गया है।

ब्याज में 50 बेसिसप्वाईंट के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण और सभी अन्य परिवर्ती कारकों को स्थिर रखा गया था जिसका उल्लेख नीचे किया गया है:

विवरण	**31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष**	**31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष**	**1 अप्रैल, 2017 को समाप्त वर्ष**
अन्य विस्तृत आय के लिए प्रभाव	-	-	-
अन्य विस्तृत आय के लिए प्रभाव			

चालू वर्ष के दौरान, ब्याज दरों के प्रति कंपनी की संवेदनशीलता में कमी मुख्य रूप से अस्थिर दर के ऋण से स्थिर दर के ऋण में परिवर्तित करने के लिए अस्थिर दर के ऋण लिखत में कटौती और ब्याज दरों में वृद्धि के परिवर्तन के कारण हुई।

(vii) अन्य मूल्य संबंधी जोखिम

कंपनी किसी भी मूल्य संबंधी जोखिम के प्रति संवेदनशील नहीं है क्योंकि इसका कोई निवेश नहीं है।

(viii) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम का अर्थ ऐसे जोखिम से है जब प्रतिपक्ष द्वारा उसके संविदात्मक दायित्वों में चूक के परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय हानि हो।

कंपनी ने नोट 5 में यथाउल्लिखित पी.एफ.सी. से प्राप्ति योग्य राशि के अधिशेष के कारण क्रेडिट जोखिम के प्रति संवेदनशीलता को सीमित किया है। कंपनी के पास कोई व्यापार प्राप्य नहीं है। इसके अलावा, प्राप्ति योग्य राशि इसकी धारक कंपनी (पी.एफ.सी.) से है।

एक प्रख्यात और विश्वसनीय बैंकिंग स्थान के साथ कंपनी का बैंक अधिशेष होने के परिणामस्वरूप प्रतिपक्षों से क्रेडिट जोखिम सीमित हो जाता है।

(ix)सम्पत्ति जोखिम प्रबंधन

कंपनी, पर्याप्त आरक्षिती के रखरखाव और अनुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की नियमित निगरानी और वित्तीय परिसम्पत्तियों और देयताओं की परिपक्वता प्रोफाईल का मिलान करते हुए सम्पत्ति जोखिम का प्रबंधन करती है।

31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार अनुमानित ब्याज भुगतान सहित वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताओं के संबंध में ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं;

विवरण	**वहन राशि**	**प्रथम वर्ष में देय**	**2-5 वर्ष में देय**	**5 वर्षों से अधिक के लिए देय**	**देय की तारीख विनिर्दिष्ट नहीं**	**कुल संविदागत मूल्य प्रवाह**
वित्तीय देयताएं						
ऋण	15,57,900.00	-	-	-	15,57,900.00	**15,57,900.00**
अन्य वित्तीय देयताएं	10,64,483.93	486.00	-	-	10,63,997.93	**10,64,483.93**

31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताओं के संबंध में ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं;

विवरण	**वहन राशि**	**प्रथम वर्ष में देय**	**2-5 वर्ष में देय**	**5 वर्षों से अधिक के लिए देय**	**देय की तारीख विनिर्दिष्ट नहीं**	**कुल संविदागत मूल्य प्रवाह**
वित्तीय देयताएं						
ऋण	15,57,900.00	-	-	-	15,57,900.00	**15,57,900.00**
अन्य वित्तीय देयताएं	9,49,602.65	486.00	-	-	9,49,116.65	**9,49,602.65**

1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताओं के संबंध में ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं;

विवरण	**वहन राशि**	**प्रथम वर्ष में देय**	**2-5 वर्ष में देय**	**5 वर्षों से अधिक के लिए देय**	**देय की तारीख विनिर्दिष्ट नहीं**	**कुल संविदागत मूल्य प्रवाह**
वित्तीय देयताएं						
ऋण	15,57,900.00	-	-	-	15,57,900.00	**15,57,900.00**
अन्य वित्तीय देयताएं	8,49,316.00	472.50	-	-	8,48,843.50	**8,49,316.00**

31 मार्च, 2019तक की स्थिति के अनुसार वित्तीय परिसम्पत्तियों की संविदात्मक परिपक्वताओं के संबंध में ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं;

विवरण	वहन राशि	प्रथम वर्ष में देय	2-5 वर्ष में देय	5 वर्षों से अधिक के लिए देय	देय की तारीख विनिर्दिष्ट नहीं	कुल संविदागत मूल्य प्रवाह
ऋण	11,27,165.21	-	-	-	11,27,165.21	**11,27,165.21**
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	8,56,614.07	-	-	-	8,56,614.07	**8,56,614.07**

31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार वित्तीय परिसम्पत्तियों की संविदात्मक परिपक्वताओं के संबंध में ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं;:

विवरण	वहन राशि	प्रथम वर्ष में देय	2-5 वर्ष में देय	5 वर्षों से अधिक के लिए देय	देय की तारीख विनिर्दिष्ट नहीं	कुल संविदागत मूल्य प्रवाह
ऋण	11,40,420.82	-	-	-	11,40,420.82	**11,40,420.82**
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	7,86,265.17	-	-	-	7,86,265.17	**7,86,265.17**

1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार वित्तीय परिसम्पत्तियों की संविदात्मक परिपक्वताओं के संबंध में ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं;:

विवरण	वहन राशि	प्रथम वर्ष में देय	2-5 वर्ष में देय	5 वर्षों से अधिक के लिए देय	देय की तारीख विनिर्दिष्ट नहीं	कुल संविदागत मूल्य प्रवाह
ऋण		-	-	-		

	11,54,689.18				11,54,689.18	**11,54,689.18**
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	7,24,348.20	-	-	-	7,24,348.20	**7,24,348.20**

(xi) वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य जिनका मूल्यांकन उचित मूल्य पर नहीं किया जाता है।

विवरण	**उचित मूल्य अनुक्रम**	**31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार**		**31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार**		**1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार**	
		वहन राशि	**उचित मूल्य**	**वहन राशि**	**उचित मूल्य**	**वहन राशि**	**उचित मूल्य**
वित्तीय परिसम्पत्तियां							
नकदी एवं नकदी समतुल्य	स्तर 3	242.63	242.63	199.53	199.53	144.95	144.95
ऋण	स्तर 3	11,27,165.21	11,27,165.21	11,40,420.82	11,40,420.82	11,54,689.18	11,54,689.18
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	स्तर 3	8,56,614.07	8,56,614.07	7,86,265.17	7,86,265.17	7,24,348.20	7,24,348.20
वित्तीय देयताएं							

ऋण	स्तर 3	15,57,900.00	15,57,900.00	15,57,900.00	15,57,900.00	15,57,900.00	15,57,900.00
अन्य वित्तीय देयताएं	स्तर 3	10,64,483.93	10,64,483.93	9,49,602.65	9,49,602.65	8,49,316.00	8,49,316.00

वित्तीय परिसम्पत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य वित्तीय विवरणों में मान्यताप्राप्त वहन राशि के सन्निकट है। वर्ष में स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के बीच कोई अंतरण नहीं हुआ था। इंड ए.एस. वित्तीय विवरणों में परिशोधित लागत पर मूल्यांकित की गईवित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं की वहन राशि उनके उचित मूल्य के सुसंगत सन्निकट है चूंकि कंपनी यह प्रत्याशा नहीं करती है कि वहन मूल्य अंततः प्राप्त और निपटाए गए मूल्य से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होंगे।

घोगरपल्ली इंटिग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड
(सी.आई.ए.:यू45207डी.एल.2008जी.ओ.आई.178456)
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाला नोट

20. संबंधित पक्षों से लेन-देन का विवरण

20.1. संबंधित पक्षों का नाम एवं संबंधों का विवरण :

क्रम सं.	**संबंधित पक्ष का नाम**	**संबंध की प्रकृति**
1	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	धारक कंपनी
2	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
3	छत्तीसगढ़ सर्गुजा पावर लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
4	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
5	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
6	उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
7	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
8	झारखंड इंफ्रापॉवर लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
9	तटीय आंध्र मेगा पावर लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
10	देवगढ़ मेगा पावर लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
11	चेयूर इंफ्रा लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
12	ओडिशा इंफ्रापॉवर लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
13	देवगढ़ इंफ्रा लिमिटेड	साथी सहायक संस्था

14	बिहार इंफ्रापॉवर लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
15	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	साथी सहायक संस्था
16	सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिडेट	साथी सहायक संस्था
17	बल्लभगढ़-जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के तहत उद्यम
18	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के तहत उद्यम
19	मोहिंदरगढ़-भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के तहत उद्यम
20	साउथ सेंट्रल ईस्ट दिल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के तहत उद्यम
21	शांगतोंग कर्चम – वांगतू ट्रांसमिशन लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के तहत उद्यम
22	बिजावाड-विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के तहत उद्यम
23	वापी-II नार्थ लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के तहत उद्यम
24	लकड़िया-वडोदरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के तहत उद्यम
25	बीकानेर-खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के तहत उद्यम
26	भुज- II ट्रांसमिशन लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के तहत उद्यम
27	फतेहगढ़- II ट्रांसको लिमिटेड	सर्वनिष्ठ नियंत्रण के तहत उद्यम

20.2 कंपनी के मुख्य प्रबंधन कार्मिक, धारक कंपनी (पी.एफ.सी.) के कर्मचारी हैं और अंशकालिक आधार पर तैनात किए गए हैं।

क्रम सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	कार्यावधि समाप्ति की तारीख

1	श्री डी. रवि	अध्यक्ष	23.01.2017	04.06.2018
2	श्री पी.के. सिंह	अध्यक्ष	04.06.2018	कार्यरत
3	श्री आलोक सिंघल	निदेशक	16.09.2016	कार्यरत
4	श्री एच. के. दास	निदेशक	18-10-2017	24.04.2018
5	श्री पी. सी. हेम्ब्रम	निदेशक	24.04.2018	कार्यरत

20.3. लेन-देन का विवरण:

20.3.1. संबंधित पक्ष से लेन-देन

विवरण	31मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
<u>पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, धारक कंपनी</u>		
उपयोग न किए गए भाग के लिए पी.एफ.सी. से प्राप्ति योग्य ब्याज	70,419.32	61,978.95
प्राप्त किए गए ऋण (निवल)	13,255.61	14,268.36
-		

20.3.2. संबंधित पक्षों के साथ बकाया अधिशेष:

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, धारक कंपनी			
दिया गया ऋण	11,27,165.21	11,40,420.82	11,54,689.18
प्राप्ति योग्य/प्रोदभूत ब्याज किंतु जो देय नहीं है	8,56,614.07	7,86,265.17	7,24,348.20

मुख्य प्रबंधन कार्मिकों का पारितोषिक:

कंपनी के कर्माचारी, धारक कंपनी (पी.एफ.सी.) के साथ किए गए समझौते के अनुसार संविदात्मक शर्तों के आधार पर है। निदेशकों को किसी भी बैठक शुल्क के लिए भुगतान नहीं किया गया है।

घोगरपल्ली इंटिग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड
(सी.आई.ए.:यू45207डी.एल.2008जी.ओ.आई.178456)
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाला नोट

21.विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में परियोजना पूरी हो जाने पर संबंधित खरीदार और बोली लगाने वाले के साथ विद्युत खरीद करार के माध्यम से विद्युत के विनिर्दिष्ट कोटे के आवंटन के लिए उनके अंशदान के रूप में कंपनी को पावर खरीद उपयोज्यता (खरीदारों) से40,00,000.00/- (सैकड़े में) रुपए का प्रतिबद्धता अग्रिम प्राप्त होना है। 15,57,900.00/- रूपये (सैकड़े में) (विगत वर्ष में 15,57,900.00/- रूपये (सैकड़े में))की राशि खरीदारों से प्राप्त हो गई है और आध्र प्रदेश (42,000.00/- रूपये (सैकड़े में)), उड़ीसा (20,00,000.00/- रूपये (सैकड़े में)), झारखंड (3,50,000.00/- रूपये (सैकड़े में)), मणिपुर (100.00/- रूपये (सैकड़े में)) और त्रिपुरा (50,000.00/- रूपये (सैकड़े में)) राज्य से 24,42,100.00/- रूपये (सैकड़े में) से प्राप्त होना है। प्राप्त किए गए प्रतिबद्धता अग्रिम को तुलन पत्र में दीर्घकालिक ऋण के रूप में दर्शाया गया है। तथापि, कंपनी/धारक कंपनी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, इन प्रतिबद्धता अग्रिमों पर ब्याज को दीर्घकालिक देयता के रूप में प्रदान किया गया है। वित्तीय समझौते की शर्तों के अनुसार, प्रोदभूत ब्याज सहित उक्त प्रतिबद्धता अग्रिम, धारक कंपनी द्वारा कंपनी के सफल बोली दाता को अंतरण की तारीख के 15 दिनों की अवधि के भीतर प्रतिदेय होगा।

22. पी.एफ.सी. लिमिटेड के साथ वित्तीय समझौते के अनुसार, खरीदारों से प्राप्त 15,57,900.00/- रूपये (सैकड़े में) के कुलप्रतिबद्धता अग्रिम को कंपनी की ओर से परियोजना के व्ययों को भुगतान करने और प्रतिबद्धता अग्रिम के उपयोग न किए गए शेष भाग को अल्पकालिक ऋण के रूप में निवेश/प्रतिधारित करने के लिए धारक कंपनी (पी.एफ.सी. लिमिटेड) के पास जमा किया गया है धारक कंपनी के पास जमा की गई राशि को तुलनपत्र में दीर्घकालिक ऋण के रूप में तथा अग्रिमों और उन पर देय ब्याज को तुलनपत्र में अन्य गैरचालू परिसम्पत्तियां शीर्ष के तहत दर्शाया जाता है।

23. कंपनी, कंपनी की ओर से उसके द्वारा वहन किए गए व्यय के संबंध में पी.एफ.सी. लिमिटेड को और परियोजना के लिए उपयोग की गई निधि को प्रतिबद्धता अग्रिम के बंटवारे और उपयोग न की गई निधियों के संबंध में खरीदारों को धारक कंपनी की नीति के अनुसार दरों पर ब्याज का भुगतान करती है। उपयोग की गई निधियों पर प्रभारित/भुगतान किया गया ब्याज समय-समय पर निर्धारित किए गए अनुसार श्रेणी में राज्य सेक्टर लेनदार श्रेणी 'क' के तहत लेनदारों के लिए परियोजना ऋण/स्कीमों के लिए पीएफसी में लागू है और उपयोग न की गई निधियों के भाग पर, ब्याज की प्राप्ति/भुगतान "पी.एफ.सी.लिमिटेड के मासिक औसत अल्पकालिक जमा दरों" पर किया जाता है। उपयोग न की गई निधियों पर ब्याज पी.एफ.सी. लिमिटेड से प्राप्ति योग्य है और यह खरीदारों को देय है। 121271.98/- रूपये (सैकड़े में) (विगत वर्ष में 110236.07/- रूपये) की कुल राशि के ब्याज व्यय का लेखा-जोखा वर्ष के लिए लेखा बहियों में दिया गया है जिसमें उपयोग न की गई राशि पर 70419.30/- रूपये (सैकड़े में) (विगत वर्ष में 61978.95/- (सैकड़े में)) का ब्याज और उपयोग की गई राशि पर 50852.68/- रूपये (सैकड़े में) (विगत वर्ष में 48257.12/- (सैकड़े में)) का ब्याज शामिल है। उपयोग की गई राशि पर ब्याज को पूंजीकृत किया गया है। देय ब्याज को अन्य दीर्घकालिक देयताओं के तहत वर्गीकृत किया जाता है। उपयोग न किए गए भाग पर प्राप्ति योग्य और देय ब्याज को सी.आई.टी. बनाम ससान पावर लिमिटेड के तहत माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर प्रगति पर पूंजीगत कार्य के माध्यम से प्रेषित किया जाता है।

24. परियोजना स्थापित करने की स्कीम के अनुसार, परियोजना का पता लगाने और आरंभिक कार्य के लिए कंपनी द्वारा वहन किया जाना वाला पूरा खर्च, जिसमें लगाई गई निधियों पर ब्याज शामिल है, परियोजना के बोली दाता से वसूल किया जाएगा जो कंपनी द्वारा अपनी धारक कंपनी (पीएफसी लिमिटेड) से 100% इक्विटी शेयर होल्डिंग की खरीद के लिए अधिप्राप्ति मूल्य के रूप में होगा जिसके बाद अपनी पूरी परिसंपत्तियों और देयताओं के साथ किए जाने वाले शेयर खरीद करार के अनुसार ऐसी बोली लगाने वालों को अंतरित हो जाएगी।.

25. कंपनी, पीएफसी लिमिटेड द्वारा दी जाने वाली सलाह और की गई व्यवसायिक सेवाओं के लिए शुल्क के रूप में पीएफसी लिमिटेड को 50,00,000.00/- (सैकड़े में) की राशि का भुगतान करने पर सहमत हो गई है। सलाह और व्यावसायिक सेवाएं देने के लिए शुल्क पीएफसी लिमिटेड को उसी स्थिति में भुगतान किया जाना है जब परियोजना के लिए सफल बोली दाता का चयन कर लिया जाएगा और कंपनी सफल बोली दाता को अंतरित कर दी जाएगी, इसलिए पीएफसी लिमिटेड को भुगतेय शुल्क के लिए किसी प्रकार की देयता का प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी का अंतरण होने पर इसे सफल बोली दाता को कंपनी का अंतरण किए जाने के वर्ष में वसूल लिया जाएगा।

26.बोली प्रक्रिया के पूरा हो जाने के बाद, धारक कंपनी द्वारा कंपनी के शेयर परियोजना के सफल बोली लगाने वाले को अंतरित कर दिए जाएंगे। कंपनी की 100% इक्विटी शेयरधारिता की खरीद और कंपनी की सभी परिसम्पत्तियों और देयताओं का अधिकार लेने के लिए अधिग्रहण मूल्य के रूप में सफल बोली दाता द्वारा भुगतेय प्रतिफल की राशि बही मूल्य के बराबर मूल्य की होगी।

27.अन्य प्रशासनिक व्यय के रूप में दर्शाए गए व्यय, मुख्य रूप से पी.एफ.सी.एल./पी.एफ.सी.सी.एल. द्वारा एसपीवी को आवंटित किए जाते हैं एसपीवी से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय 100% आधार पर आवंटित किए जाते हैं और विभिन्न एसपीवी के बीच सेवाओं की साझेदारी के आधार पर सामान्य व्यय का आवंटन किया जाता है पीएफसीएल/पीएफसीसीएल द्वारा किए गए व्यय के संबंध में मूल समर्थनकारी बिल पीएफसीएल/पीएफसीसीएल के नाम पर होते हैं और उनके द्वारा सुरक्षित रखे जाते हैं जिनकी प्रतियां कंपनी के पास होती हैं पीएफसीएल/पीएफसीसीएल इन व्ययों पर लागू स्रोत पर कटौती और जीएसटी से जुड़े सभी सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन कर रहे हैं।

28. पूंजीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित सभी व्यय को शामिल करते हुए निर्माण अवधि के दौरान व्यय(नोट-18 और 19)तैयार किए गए हैं और इन्हें प्रगति पर पूंजीगत कार्य में शामिल किया गया है।

29. कर्मचारी लाभ योजना

चूंकि कंपनी में कोई कर्मचारी नहीं है , अतः इंड ए.एस.-19 के अनुसार दायित्व लागू नहीं होते हैं।

30. प्रतिबद्धताओं के लिए व्यय

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार
(क) पूंजीगत खातों के संबंध में कार्यान्वित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि (अग्रिमों का निवल):	-	-	-
(ख) अन्य प्रतिबद्धताएं	-	-	-

31. आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के	1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार

		अनुसार	
कंपनी की आकस्मिक देयताएं और कंपनी के विरूद्ध दावों को कंपनी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है जैसा की अवधि के लिए प्रबंधन ने प्रमाणित किया है। इसके अलावा, कंपनी को कोई आकस्मिक परिसम्पत्तियां और आकस्मिक लाभ की संभावना नहीं है।	-	-	-

32. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 ("एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम") के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय का विवरण

विवरण	**31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार**	**31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार**	**1 अप्रैल, 2017 तक की स्थिति के अनुसार**
(क) लेखांकन अवधि के अंत में किसी आपूर्ति कर्ता को अदत्त मूल राशि और उन पर देय ब्याज का शेष	-	-	-
(ख) लेखांकन अवधि के दौरान नियुक्त दिन के बाद आपूर्तिकरता को भुगतान की गई राशि सहित एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में क्रेता द्वारा संदत्त ब्याज की राशि	-	-	-
(ग) भुगतान में की गई देरी की अवधि के लिए देय और भुगतेय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान अवधि के दौरान नियुक्त दिन के बाद किया गया) किंतु एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	-	-	-
(घ) लेखांकन अवधि के अंत में प्रोदभूत और अदत्त शेष ब्याज की राशि	-	-	-
(ङ) एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय की अनुमति न देने के			

उद्देश्य से, अनुवर्ती वर्षों में भी, उस तारीख तक जिसे उपरोक्त देय ब्याज को लघु उद्यम को वास्तव में भुगतान कर दिया गया, देय और भुगतेय शेष अतिरिक्त ब्याज की राशि	-	-	-

नोटः उपरोक्त जानकारी उन पक्षों के संबंध में प्रकट की गई जिन्हें कंपनी पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर अभिनिर्धारित किया गया है।

33. लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक

विवरण	**31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए**
सांविधिक लेखा परीक्षा	531.00	531.00
कुल	**531.00**	**531.00**

34. खंडीय जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल जिसे प्रचालन संबंधी प्रमुख नीति नियंता (सी ओ डी एस) माना जाता है कंपनी के निष्पादन का आकलन करता है और कंपनी के विभिन्न निष्पादन सूचकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधन आवंटित करता है। कंपनी का निगमन मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से किया गया है और वर्तमान में यह विद्युत संयंत्र स्थापित करने में संलग्न है और कंपनी की सभी गतिविधियां एकल इकाई के रूप में इस मुख्य व्यापार के इर्द-गिर्द घूमती हैं इसके अतिरिक्त कोई भौगोलिक खंड नहीं है क्योंकि कंपनी के सभी प्रचालन भारत में हैं इसलिए इंड एस 108 "प्रचालन खंड" के अनुसार कंपनी द्वारा अलग से रिपोर्ट करने के लिए कोई खंड नहीं है।

35. अन्य प्रकटन:

(क) विदेशी मुद्रा में व्यय- शून्य

(ख) विदेशी विनियम में आय- शून्य

36.इंड ए.एस. में संक्रमण की तारीख को, कंपनी ने इंड ए.एस. 101 के अनुसार लागत समझे जाने वाले पूर्ववर्ती जी.ए.ए.पी. के अनुसार सी.डब्ल्यू.आई.पी. के वहन मूल्य पर विचार किया है।

37. कंपनी ने पूर्ववर्ती लागू जी ए पी पी के अपेक्षाओं के अनुसार 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए अपने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं जिसमें कंपनी (लेखा) नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक 'ए एस' शामिल है। वित्तीय विवरणों में पूर्ववर्ती अवधि के आंकड़े उन्हीं लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार प्रस्तुत किए गए हैं जिनका उपयोग कंपनी के प्रथम इंड ए.एस. विवरणों को तैयार करने के लिए किया जाता है।.

38. प्रथम बार इंड ए.एस. को अपनाए जाने का समामेलन:

-

38.1 1 अप्रैल, 2017 और 31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार
तुलनपत्र पर इंड ए.एस. अपनाए जाने के प्रभाव: -

विवरण	**1 अप्रैल, 2017**			**31 मार्च, 2018**		
	पूर्ववर्ती जी.ए.ए.पी.	**समायोजन**	**इंड ए.एस.**	**पूर्ववर्ती जी.ए.ए.पी.**	**समायोजन**	**इंड ए.एस.**
परिसम्पत्तियां **गैर-चालू परिसम्पत्तियां**						
(क) प्रगति पर पूंजीगत कार्य	5,43,280.88	-	5,43,280.88	5,95,229.45	-	5,95,229.45
(ख) वित्तीय परिसम्पत्तियां			-			-
(i) ऋण						

	11,54,689.18	-	11,54,689.18	11,40,420.82	-	11,40,420.82
(ii) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	7,24,348.20	-	7,24,348.20	7,86,265.17	-	7,86,265.17
कुलगैर-चालू परिसम्पत्तियां	24,22,318.26	-	24,22,318.26	25,21,915.43	-	25,21,915.43
चालू परिसम्पत्तियां						
(क) वित्तीय परिसम्पत्तियां						
(i) नकदी एवं नकदी समतुल्य	144.95	-	144.95	199.53	-	199.53
(ख) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	-	-	-	-	-	-
कुलचालू परिसम्पत्तियां	144.95	-	144.95	199.53	-	199.53
कुलपरिसम्पत्तियां	**24,22,463.21**	**-**	**24,22,463.21**	**25,22,114.96**	**-**	**25,22,114.96**
इक्विटी एवं देयताएं						
इक्विटी						
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
(ख) अन्य इक्विटी						

	(333.63)	-	(333.63)	(333.63)	-	(333.63)
कुलइक्विटी	4,666.37	-	4,666.37	4,666.37	-	4,666.37
गैर-चालू देयताएं						
(क) वित्तीय देयताएं						
(i) ऋण	15,57,900.00	-	15,57,900.00	15,57,900.00	-	15,57,900.00
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	8,48,843.50	-	8,48,843.50	9,49,116.65	-	9,49,116.65
कुलगैर-चालू देयताएं	24,06,743.50	-	24,06,743.50	25,07,016.65	-	25,07,016.65
चालू देयताएं						
(क) वित्तीय देयताएं						
(i) अन्य वित्तीय देयताएं	9,49,116.65	-	9,49,116.65	9,49,116.65	-	9,49,116.65
(ख) अन्य चालू देयताएं	10,523.61	-	10,523.61	10,007.92	-	10,007.92
(ग) चालू कर देयताएं (निवल)	57.23	-	57.23	-	-	-

कुलचालू देयताएं	9,59,697.49	-	9,59,697.49	9,59,124.57	-	9,59,124.57
कुलइक्विटी एवं देयताएं	**33,71,107.36**	**-**	**33,71,107.36**	**34,70,807.59**	**-**	**34,70,807.59**

38.2 31मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण पर इंड ए.एस. को अपनाए जाने का प्रभाव: -

विवरण	**पूर्ववर्ती जी.ए.ए.पी.**	**समायोजन**	**इंड ए.एस.**
प्रचालनों से राजस्व अन्य आय	- -	- -	- -
कुल राजस्व (I)	**-**	**-**	**-**
व्यय अन्य व्यय	-	-	-
कुलव्यय ((II)	**-**	**-**	**-**
कर पूर्व लाभ/(हानि) (I-II)	**-**	**-**	**-**

कर व्यय: (1) चालू कर (2) आस्थगित कर	- -	- -	- -
कुलकर व्यय	**-**	**-**	**-**
अवधि के लिए लाभ/(हानि)	**-**	**-**	**-**

38.3 1 अप्रैल, 2017 और 31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार अन्य इक्विटी पर इंड ए.एस. अपनाए जाने के प्रभाव: -

विवरण	**31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार**	**1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार**
आई.जी.ए.ए.पी. के तहत यथासंसूचित अन्य इक्विटी	(334)	(334)
संक्रमण तारीख को इक्विटी में कमी		
इंड ए.एस.समायोजन:		
निवेश की बिक्री पर लाभ की वापिसी	-	-
अन्य समायोजन		
पूर्वावधि समायोजन		

	-	-
चालू कर	-	-
उपरोक्त समायोजनों पर डी.टी.ए./डी.टी.एल. प्रभाव	-	-
इक्विटी पर कुल प्रभाव	**-**	**-**
इंड ए.एस. के तहत यथासंसूचित अन्य इक्विटी	**(334)**	**(334)**

38.4 31मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण पर इंड ए.एस. को अपनाए जाने का प्रभाव: -

विवरण	**पूर्ववर्ती जी.ए.ए. पी.**	**समायोजन**	**इंड ए.एस.**
प्रचालन गतिविधियो से निवल नकदी प्रवाह	54,148.27	-	54,148.27
निवेशी गतिविधियों में उपयोग किया गया निवल नकद	(54,105.17)	-	(54,105.17)
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी अंतर्वाह	-	-	-

वर्ष के दौरान नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी	**43.10**	**-**	**43.10**
जोड़े: वित्तीय वर्ष के आरम्भ में नकदी और नकदी समतुल्य	199.53	-	199.53
अवधि के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य	242.63	-	242.63

39. वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था और .... को जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

निदेशक मंडल के लिए और उन्हीं की ओर से

पी. सी. हेम्ब्रमआलोक सिंघलपी.के. सिंह
निदेशकनिदेशकअध्यक्ष
डी.आई.एन.:02750881
डी.आई.एन.:00795955
डी.आई.एन.:03548218

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
निम्नलिखित की ओर से उन्हीं के लिए
वैश एंड एसोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)
फर्म पंजीकरण संख्या 005388एन

(कपिल कुमार खंडेलवाल)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 513636
स्थान: नई दिल्ली
तारीख :